न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 11/2016 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
रामसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी डिंगाई, तहसील पाली जिला पाली		1. ग्राम पंचायत डिंगाई जरिये सरपंच 2. गजेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी डिंगाई तहसील पाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित ::
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 30.07.2019

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम पंचायत डिंगाई के मिसल संख्या 69/2010–11 प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 05.12.2010 एवं इसकी अनुपालना में पट्टा संख्या 19 जारी किया गया है। उक्त प्रस्ताव व पट्टे को निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत डिंगाई का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी प्रस्ताव कानूनी वाक्यातों के विरूद्ध एवं साक्ष्यविहीन लिया जाकर पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा भूमि आबादी भूमि नहीं होकर राजस्व भूमि में जारी किया गया, जो निरस्त योग्य है। जैर निगरानी विक्रय विलेख राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया, जिसमें पैतृक मकानो, पुराने गृहो का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है, जैर निगरानी पट्टा भूखण्ड का जारी किया गया है, पंचायत की मिसल में कहीं भी मकान निर्मित होने का उल्लेख नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में पैतृक कब्जा सुदा लिखा है, पैतृक भी है तो दोनों भाईयों का सामलाती पट्टा जारी किया जाना चाहिए था। जबकि पंचायत डिंगाई द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। जिससे पट्टा निरस्त योग्य है। पंचायत आदेशिका दिनांक 20.08.2010 में मकान/बाड़ा/नोहरा होने

जिला कलेक्टर, पाली

बाबत उल्लेख है, यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि किसका पट्टा बनाया जाना है। आदेशिका दिनांक 05.10.2010 में तीन वार्ड पंचों को मनोनीत किया, उनके नाम क्र.स. लगाकर रिक्त पड़े है। एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया, उसके पृष्ट भाग पर किस स्थान पर, किस तारीख को, किन–किन मौतबिरानों के समक्ष चस्पा किया गया, इसका उल्लेख नहीं है। तीन वार्ड पंचों द्वारा भूमि के निरीक्षण प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं है, मात्र. 1 वार्डपंच भगाराम के हस्ताक्षर है, निरीक्षण रिपोर्ट एवं आपत्ति इश्तिहार की चस्पानगी दोनों ही विधी अनुसार नहीं किए गए है। जिससे जैर निगरानी प्रस्ताव एवं पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित है। दो गवाहों के बयान संलग्न किए गए, लेकिन गवाहों के नाम, वल्दियत, पत्ता व उम्र सभी रिक्त है। दोनों बयान शुन्य है। सभी कुछ प्रायोजित ढंग से किया हुआ प्रतीत होता है। आदेशिकाएं, बयान, फैसला सभी में रिक्त स्थान भरकर संलग्न मिसल किए गए है। प्रस्ताव रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रस्ताव लिया गया अथवा नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी प्रस्ताव व पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी का पुश्तैनी मकान का आबादी में पट्टा जारी किया गया है। जिसमें अप्रार्थी लगभग 40 वर्षो से निवास कर रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है, तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है तथा आपत्ति इश्तिहार भी जारी किया गया है। दो गवाहों के बयान भी लिए गए है। पंचायत द्वारा प्रक्रिया पूरी की गई, इसमें कुछ त्रुटि रही है, तो उसका दण्ड अप्रार्थी संख्या 2 को नहीं दिया जा सकता है, अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नियमानुसार 200/– रूपेय शुल्क जमा कराकर पट्टा जारी किया गया है। जिसे यथावत रखा जाने हेतु निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भूमि की स्थिति में पुश्तैनी होना अंकित किया है, जिसके अनुसार प्रश्तैनी भूमि का पट्टा अकेले अप्रार्थी के नाम जारी किया जाता है, तो विधी सम्मत नहीं माना जा सकता है। उदयसिंह के सभी विधिक वारिसान के नाम होना चाहिए था। नियम 157(1) के तहत पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया जा सकता है। जबकि जैर निगरानी आराजी बाबत आदेशिक दिनांक 05.11.2010 में भूमि होना उल्लेखित है, मकान नहीं, न ही भूमि पर कब्जा 25–30 वर्षो से होना साबित है, ऐसी स्थिति में नियम 157(1) के तहत पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा विधी सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। जिन बयानों में मकान होना उल्लेखित है, वे बयान किस व्यक्ति के है, उनके नाम, पता व वल्दियत उल्लेखित नहीं है, खाली स्थान पड़े है। बयानों में

जिला कलेक्टर, पाली

दिनांक भी लिखी हुई नहीं है, मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है, सभी बयान व कार्यवाही कम्प्यूटर से पूर्व में ही तैयार सुदा है। जिसमें रिक्त स्थान भरे हुए है, वो भी कई स्थान खाली छोड़ दिए गए है। इससे प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण कार्यवाही विधी सम्मत प्रक्रिया अपनाकर समयबद्ध नहीं की गई है। आपत्ति इश्ताहार कहां चस्पा किया, किसके द्वारा चस्पा किया गया, किन मौतबिरानों के समक्ष चस्पा किया गया, उल्लेखित नहीं है। निरीक्षण प्रपत्र पर तीन वार्डपंचों के हस्ताक्षर नहीं है, न ही तीन वार्डपंचो को नामित कर कमेटी का गठन ही किया गया है। प्रस्ताव रजिस्टर एवं पट्टा बुक भी पंचायत में नहीं है। इससे प्रस्ताव लिया गया अथवा नहीं, यह पता नहीं चलता है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी प्रस्ताव व पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत डिंगाई के मिसल संख्या 69/2010–11 प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 05.12.2010 एवं इसकी अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 05.12.2010 को निरस्त किया जाता है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डिंगाई ने जरिये पत्रांक ग्रा.प.डि./2018–19/173 दिनांक 16.01.2018 के इस न्यायालय को लिखा है कि बैठक कार्यवाही रजिस्टर व पट्टा बुक नहीं मिले है, मात्र मिसल ही प्राप्त हुई है, इसस संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति पाली को बाद जांच संबंधित दोषी कार्मिक के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली, विकास अधिकारी, पाली एवं ग्राम पंचायत डिंगाई को प्राप्त मूल मिसल के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली